# राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 1264/2024

बंसीलाल डिन्डोर –अपीलार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, प्रारम्भिक शिक्षा विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, बीकानेर।
3. जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय), प्रारम्भिक शिक्षा, बांसवाड़ा।

–प्रत्यर्थीगण

**प्रस्तुतिकरण की दिनांक** : 06.03.2024
**आदेश की दिनांक** : 02.04.2024
**<u>उपस्थित –</u>**
**अपीलार्थी की ओर से** : श्री एस.के. सिंगोदिया, अभिभाषक
**प्रत्यर्थी विभाग की ओर से** : श्री जगन्नाथ खण्डप्पा, राजकीय अधिवक्ता

**समक्ष :– अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)**
**लेखराज तोसावड़ा, सदस्य**

## आदेश

मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपीलीय अधिकरण) अधिनियम–1976 की धारा–4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।

प्रस्तुत अपील अनुसार अपीलार्थी वर्तमान में अध्यापक ग्रेड–III लेवल–I के पद पर राजकीय प्राथमिक विद्यालय, लालपुरा, ब्लॉक छोटीसरवन, जिला बांसवाड़ा में कार्यरत है। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 24.05.2022 द्वारा अपीलार्थी का स्थानान्तरण वर्तमान पदस्थापन स्थान से राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, बारी, छोटी सरवन, बांसवाडा किया गया। इस आदेश के विरूद्ध माननीय उच्च न्यायालय, जोधपुर में एस.बी.सिविल रिट पिटीशन संख्या 8121/2022 आशा जोशी एवं अन्य बनाम राजस्थान राज्य एवं अन्य दायर की गई, जिसमें माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 17.06.2022 (अनुलग्नक–3) द्वारा आदेश दिनांक 24.05.2022 के क्रियान्वयन पर अंतरिम स्थगन आदेश पारित किया गया। रिट याचिका का अन्तिम निर्णय दिनांक 18.09.2023 का हुआ जिसमें अपीलार्थी को प्रत्यर्थीगण को अभ्यावेदन प्रस्तुत करने एवं जिला शिक्षा अधिकारी का उक्त अभ्यावेदन प्राप्त होने के 6 सप्ताह में निर्णित करने हेतु आदेशित किया गया। आदेश दिनांक 14.02.2024 (अनुलग्नक–1) द्वारा उसी प्रकार से अपीलार्थी का पदस्थापन किया गया जो पूर्व में आदेश दिनांक 24.05.2022 के द्वारा किया गया था। आदेश दिनांक 14.02.2024 में उल्लेखित है कि जिला स्तर पर गठित परिवेदना समिति में अपीलार्थी के अभ्यावेदन पर विचार किया

गया है, परन्तु रिपोर्ट की प्रति अपीलार्थी को उपलब्ध नहीं करायी गयी है तथा अपीलार्थी को कोई स्पष्टीकरण देने हेतु नहीं कहा गया है। अपीलार्थी के अधिवक्ता का तर्क है कि अपीलार्थी प्रारंभिक शिक्षा में कार्यरत है और उसे नियम 2021 के नियम 6(iii) के प्रावधानों के पालना किए बिना माध्यमिक शिक्षा में भेजा गया था। वरिष्ठता के आधार पर माध्यमिक शिक्षा में भेजा जाना होता है। नियम 2021 के नियम 6(iii) के तहत अधिशेष घोषित करते समय वरिष्ठता का ध्यान नहीं रखा गया है। जिन शिक्षकों के नाम दिनांक 20.05.2022 की सूची में थे, उन्हें 22.03.2022 को निर्धारित काउंसलिंग की प्रक्रिया में उपस्थित होने के लिए कहा गया था। अपीलार्थी के साथ–साथ अन्य लोग भी काउंसलिंग की प्रक्रिया के दौरान उपस्थित हुए थे और उक्त काउंसलिंग प्रक्रिया के बाद केवल 35 शिक्षकों को नियम 2021 के 6(3) की सूची में शामिल किया गया था। दो उम्मीदवार पंकज कुमार भट्ट (क्रमांक 13) और रमेश चंद्र पाटीदार (क्रमांक 15) है वे अभी भी प्राथमिक शिक्षा में कार्यरत हैं जबकि अपीलार्थी को माध्यमिक शिक्षा में भेजा जा रहा है। प्रारंभिक से माध्यमिक में पदस्थापन के लिए नियमावली 2021 के नियम 6(3) के तहत 60 शिक्षकों का चयन हुआ, जिसमें से मात्र 35 शिक्षकों को ही काउंसलिंग के लिए बुलाया गया और काउंसलिंग की सूची तैयार करते समय कुछ वरिष्ठ शिक्षकों को नजरअंदाज कर दिया गया है। नियम 6(3) नियम 2021 के प्रावधान एवं इसके अतिरिक्त आदेश दिनांक 20.05.2022 का भी पालना नहीं की गई। काउंसलिंग की प्रक्रिया के दौरान सभी रिक्त सीटें प्रदर्शित नहीं की गईं, जिसके कारण अपीलार्थी अपनी पसंद के अनुसार स्थान चुनने से वंचित रह गए। अपीलार्थी प्रारंभिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत कार्यरत है और यदि उसे माध्यमिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत नियुक्त किया जाता है तो इससे बड़ी कठिनाई होगी।

अपीलार्थी ने आदेश दिनांक 14.02.2024 (अनुलग्नक–1) एवं आदेश दिनांक 24.05.2022 को अपास्त किये जाने की प्रार्थना की है।

हमने उभय पक्ष को सुना एवं अभिलेख का अवलोकन किया।

प्रस्तुत अपील में प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 14.02.2024 (अनुलग्नक–1) के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। जिसमें अपीलार्थी को सैट–अप परिवर्तन के तहत प्राथमिक शिक्षा से माध्यमिक श़िक्षा में पदस्थापित किया गया है। सेट–अप परिवर्तन वैकल्पिक नहीं है तथा वरिष्ठता के आधार पर सेट–अप परिवर्तन किया जाता है। अपीलार्थी द्वारा सेट–अप परिवर्तन के विरूद्ध याचिका माननीय उच्च न्यायालय में रिट याचिका संख्या 8121/2022 दायर की गई थी। जिसमें माननीय उच्च न्यायालय द्वारा आदेश दिनांक 18.09.2023 द्वारा यह आदेशित किया गया कि याचिकाकर्ता द्वारा प्रत्यर्थी विभाग के समक्ष चार सप्ताह में अभ्यावेदन प्रस्तुत करे और

प्रत्यर्थी विभाग यथासंभव छः सप्ताह में अभ्यावेदन निस्तारित करें। उपलब्ध दस्तावेजात से स्पष्ट है कि अपीलार्थी द्वारा माननीय उच्च न्यायालय की पालना में प्रत्यर्थी विभाग के समक्ष कोई अभ्यावेदन प्रस्तुत नहीं किया गया। अभ्यावेदन के अभाव में प्रत्यर्थी विभाग द्वारा जिला स्तरीय परिवेदना निस्तारण समिति द्वारा अपीलार्थी के प्रकरण में निर्णय किया जाकर उसको सेट–अप परिवर्तन के तहत आदेश जारी किया। अपीलार्थी का कथन है कि उससे वरिष्ठ कार्मिकों को छोड़ा गया है और अपपीलार्थी का सेट–अप परिवर्तन किया गया है। लेकिन पत्रावली पर ऐसा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया कि अपीलार्थी से वरिष्ठ कार्मिकों को छोडकर अपीलार्थी का सेट–अप परिवर्तन किया गया हो। पत्रावली पर उपलब्ध वरिष्ठता सूची (अनुलग्नक–5) में जिन दो कर्मचारियों पंकज कुमार भट्ट व रमेश चन्द पाटिदार का इस अपील में उल्लेख किया गया है, वे दोनों कर्मचारी अपीलार्थी से कनिष्ठ है।

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील बलहीन एवं सारहीन होने के कारण मय स्थगन प्रार्थना पत्र के खारिज की जाती है।

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य (न्यायिक)